

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व संरचनात्मक रूप रेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोजनों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य प्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त

राज्य राजकोषीय सुधार पथ पर है। यद्यपि, राज्य ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है। राज्य 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान राजस्व घाटे में रहा तथा उसके पश्चात्, राज्य ने गत तीन वर्षों (2015-18) के दौरान राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित रखा। तथापि, अधिशेष भारत सरकार से भारी विचलन के बावजूद भी लगातार घटते हुए ₹ 1,137 करोड़ (2015-16) से ₹ 920 करोड़ (2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18) रह गया।

राजस्व घाटे में 2016-17 के ₹ 2,948 करोड़ में ₹ 922 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2017-18 में ₹ 3,870 करोड़ हो गया। प्राथमिक अधिशेष क्रमशः 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान ₹ 990 करोड़ तथा ₹ 411 करोड़ से 2017-18 में ₹ 82 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में (₹ 26,264 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 27,367 करोड़) में केवल चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल 35 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के संसाधनों करों एवं कर भिन्न से आया जबकि शेष 65 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां केन्द्रीय अंतरणों अर्थात् केन्द्रीय करों एवं शुल्कों से राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) के रूप में प्राप्त हुई।

वर्ष 2014-15 से निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद, भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹ 901.83 करोड़ की पर्याप्त राशि, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की जा रही थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम को 2016-17 में ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के संवितरण के कारण राज्य का कुल व्यय (₹ 31,312 करोड़) ₹ 821 करोड़ (तीन प्रतिशत) तक घट गया।

राजस्व व्यय 2016-17 के ₹ 25,344 करोड़ से ₹ 1,709 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया तथा कुल व्यय में इसका अंश 2016-17 के 79 प्रतिशत से 2017-18 में 86 प्रतिशत तक बढ़ गया।

गत वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि सहित वर्ष के अंत में समग्र राजकोषीय देयताएं ₹ 51,030 करोड़ हो गईं। राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 37.55 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.86 गुणा थी।

आगामी दस वर्षों (2028-29) के दौरान राज्य को ब्याज राशि ₹ 9,483 करोड़ के साथ-साथ बकाया ऋण ₹ 21,574 करोड़ में से ₹ 20,874 करोड़ (96.75 प्रतिशत) बाजार ऋण की चुकौती करनी पड़ेगी।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2017-18 के दौरान, कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के ₹ 41,267.45 करोड़ के प्रति ₹ 37,811.09 करोड़ का व्यय किया। ₹ 3,456.36 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई ₹ 3,843.12 करोड़ की बचतों का परिणाम थी, जो कि दो अनुदानों एवं एक विनियोजन में हुए ₹ 386.76 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई जिसका, 2011-12 से 2016-17 की अवधि हेतु ₹ 9,402.18 करोड़ के व्यय आधिक्य के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधायिका से नियमितिकरण करवाना अपेक्षित है।

21 उप-शीर्षों में ₹ 1,340.08 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं था अथवा कुल अनावृत्त व्यय आधिक्य रहा था तथा 20 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित रूप से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचतें हुईं। 60 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) वित्तीय वर्ष के अंत पर ₹ 2,558.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। 70 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 681.87 करोड़ राशि के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किए गए थे।

छः मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय 65 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था और केवल मार्च 2018 के महीने के दौरान इन लेखा-शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय, कुल व्यय का 58 से 88 प्रतिशत था।

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अमुक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान का पालन किया है। अधिकतर स्वायत्त निकायों द्वारा काफी अवधि से अंतिम लेखाओं को तैयार नहीं किया गया। परिणामतः, उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, अस्थाई अग्रिम के मामले समायोजन हेतु, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि व गबन के मामले लम्बी अवधि से विभागीय कार्रवाई के लिए लम्बित थे।

